

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 138/अपील/20



प्रेम उर्फ परमानन्द पुत्र नाथू गुर्जर नि० टेकला तहसील बकानी (अपीलान्त)
बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार बकानी (रेस्प०)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 17.09.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी
मि०न० 615/20

उपस्थित: श्री इन्दरसिंह गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्त
पेरोकार सरकार

:- निर्णय :-

दिनांक: 29.12.2020

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 17.09.2020 जो मिसल न० 615/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम टेकला की आराजी ख०न० 204,215 की 2.15 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर 30 दिवस का सिविल कारावास व 152/- रुपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत एवं सार संग्रह होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सेकण्ड ट्रेस पास मानकर भूल की है, प्रार्थी को वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया है और सनुवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा कार्यवाही की गई है। अपीलान्त द्वारा चरागाह भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना जमा कर दिया गया है वर्तमान में भूमि पड़त पड़ी हुई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवादी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न० 1454 निर्णय दिनांक 08.11.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेंगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़